



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238173
CG-DL-E-18082022-238173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3681]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3681]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का. आ. 3855(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लवंगलई (NH502A) के किमी. 0 से किमी. 25.5 मिजोरम राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मिजोरम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH502A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/ एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH502A के कि.मी. 0	मिजोरम	लवंगल्लई	लवंगल्लई	1	हमावंगबू
						2	हवांगबुच्छा
						3	काकिछुआह

		से 26.2 तक				4 जोच्छुआह 5 सबुएलतांग
--	--	---------------	--	--	--	---------------------------

[फा. सं. NHIDCL/RO-Aizawl/Gen/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

S. O. 3855(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 0 to 25.5 of Lawngtlai (NH502A) in the State of MIZORAM for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MIZORAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH502A in the State of MIZORAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Collector/ Additional Deputy Commissioner (	0KM To 26.2KM	MIZORAM	LAWNGTLAI	Lawngtlai	1 Hmawngbu 2 Hmawngbuchhuah 3 Kakichhuah 4 Zochachhuah 5 Sabualtlang

[F. No. NHIDCL/RO-Aizawl/Gen/2022]

RAJESH GUPTA, Director